VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(01 July 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- भारतीय न्याय संहिता (BNS), सहित तीन नए आपराधिक कानून लागू
- अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध 'संथाल हूल (विद्रोह)'
- भारत - बांग्लादेश के मध्य तीस्ता जल बंटवारे से जुड़ा मुद्दा
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

भारतीय न्याय संहिता (BNS), सहित तीन नए आपराधिक कानून लागू:

परिचय:

- पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किए गए तीन आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। नये आपराधिक कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाएंगे तथा औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त कर देंगे।

- भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेंगे।

नए आपराधिक कानूनों को बनाने का क्या उद्देश्य है?

- उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद से औपनिवेशिक युग की IPC (जो आपराधिक कानून का सार प्रदान करती है), CrPC (जो कानून के प्रवर्तन की प्रक्रिया प्रदान

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

करती है) और साक्ष्य अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं। लेकिन जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नए कानूनों के पारित होने के दौरान कहा था कि ये संहिताएँ उन कानूनों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया है।

- सरकार के 'उपनिवेशवाद-विमुक्ति' के कथन को छोड़ भी दें तो भी इस बात पर आम सहमति है कि भारत के आपराधिक कानूनों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS):

- भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं (IPC में 511 धाराएं)। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, तथा 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है।
- भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए 'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध' शीर्षक से एक नया अध्याय शुरू किया है, तथा संहिता 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ बलात्कार से संबंधित प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव कर रही है।

- भारतीय न्याय संहिता में शामिल नए अपराधों से सबसे उल्लेखनीय है धारा 69, जो "धोखेबाज़ी" के ज़रिए यौन संबंध बनाने पर दंड का प्रावधान करती है। "धोखेबाज़ तरीकों" में नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल है।
- BNS ने धारा 103 के तहत पहली बार नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर हत्या को भी एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र को लिंचिंग के लिए एक अलग कानून पर विचार करने का निर्देश दिया था।
- भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है तथा इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। BNS की धारा 113 (1) में उल्लेख है कि ***"जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से या खतरे में डालने की संभावना रखता है या भारत में या किसी विदेशी देश में जनता या जनता के किसी वर्ग के बीच आतंक पैदा करने या फैलाने के इरादे से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या मुद्रा का निर्माण या तस्करी करने आदि के इरादे से बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैसों, परमाणु का उपयोग करके कोई कार्य***

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

करता है, तो वह आतंकवादी कृत्य करता है"। इस संहिता में आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड या बिना पैरोल के आजीवन कारावास का प्रावधान है।

- BNS में पीड़ितों के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें पीड़ित को FIR की प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। इसमें पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करने का भी प्रावधान है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएं हैं (CrPC में 484 धाराएं हैं)।
- BNSS में एक बड़ा बदलाव यह है कि पुलिस हिरासत की अवधि को CrPC में निर्धारित 15 दिन की सीमा से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त BNSS में मुकदमे को पूरा करने के लिए सख्त समयसीमा लाकर "पीड़ित-केंद्रित" दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- BNSS यह भी कहता है कि जिन मामलों में सज़ा सात साल या उससे ज़्यादा है, उनमें सरकार द्वारा केस वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनवाई का मौक़ा दिया जाएगा।

- अनुपस्थिति में मुकदमे का संचालन BNSS में एक और नया परिचय है- जहां किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है, जैसे कि वह अदालत में मौजूद था और उसने सभी अपराधों के लिए निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ दिया है।

इन नए कानूनों के सकारात्मक पहलू:

- नए कानूनों में प्रमुख सकारात्मक बदलावों में से एक है कुछ अपराधों के लिए सज़ा के वैकल्पिक रूप के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जेल में सजा न दिए जाने वाले अपराधों का चयन कैसे किया गया, क्योंकि भारत की जेलों में बंद तीन-चौथाई लोग विचाराधीन कैदी हैं, लेकिन सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा पहली बार दोषी ठहराए गए लोगों और मामूली अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को जेल से बाहर रखती है।
- इसके अलावा, नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार के दायरे में लाया गया है। IPC ने वैवाहिक बलात्कार के लिए केवल एक अपवाद था - 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग। 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यह 15 साल की सीमा POCSO अधिनियम के तहत बाल बलात्कार कानूनों के विपरीत है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

नया कानून IPC के तहत 15-18 साल की विवाहित लड़कियों के लिए ग्रे एरिया को संबोधित करता है।

- मॉब-लिंचिंग के अपराधों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, और इस तरह के घृणा अपराधों को रोकने के विधायी प्रयास का संकेत देता है।
- मुकदमों की वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर जोर, और त्वरित सुनवाई के लिए समयसीमा निर्धारित करने से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, लेकिन उनकी सफलता जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।

VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध 'संथाल हूल' या संथाल विद्रोह:

परिचय:

- अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए किसानों से लेकर संन्यासी तक आतुर रहते थे। 1857 की पहली क्रांति से पहले भी अंग्रेजों की खिलाफत होती रहती थी।

- इनमें से एक विद्रोह से ऐसा था, जो अंग्रेजों के तोप-बंदूक के मुकाबले धनुष-बाण से लड़ा गया था, जिसे 'संथाल हूल' या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह संथालों के नेतृत्व में 30 जून 1855 को शुरू हुआ "उपनिवेशवाद के खिलाफ संगठित युद्ध" था, जो अंग्रेजों और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए आर्थिक और अन्य तरह के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा था।
- इस विद्रोह की अगुवाई मुर्मू भाइयों सिद्धू-कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। इसमें जुड़वा मुर्मू बहनों फूलो और झानो की भी अग्रणी भूमिका थी।

संथाल कौन लोग थे?

- संथाल लोग - या संथाली - आधुनिक संथाल परगना - जिसमें दुमका, पाकुर, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर और जामताड़ा के कुछ हिस्से शामिल हैं- के मूल निवासी नहीं थे। वे 18वीं सदी के अंत में बीरभूम और मानभूम क्षेत्रों (वर्तमान बंगाल) से पलायन करके आए थे।
- बंगाल में 1770 के अकाल के कारण संथाल लोग पलायन करने लगे और जल्द ही अंग्रेजों ने मदद के लिए उनकी ओर रुख किया। 1790 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के अधिनियम के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण में लगातार बढ़ते क्षेत्र को स्थायी कृषि के अंतर्गत लाने के लिए बेताब थी। इसलिए, उन्होंने राजस्व की एक स्थिर राशि एकत्र करने के लिए, संथालों को बसाने के लिए दामिन-ए-कोह का क्षेत्र चुना, जो उस समय घने जंगलों से भरा हुआ था। हालांकि, एक बार बसने के बाद, संथालों को औपनिवेशिक उत्पीड़न का खामियाजा भुगतना पड़ा।
- आज संथाल समुदाय भारत का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, जो झारखंड-बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है।

संथाल हूल या विद्रोह क्यों घटित हुआ?

- जमींदारों, पुलिस, राजस्व और अदालत ने संथालों पर जबरन वसूली, दमनकारी वसूली, संपत्ति से जबरन बेदखल करना, गाली-गलौज और व्यक्तिगत हिंसा तथा कई तरह के छोटे-मोटे अत्याचारों की एक संयुक्त प्रणाली अपनाई है।
- 50 से 500 प्रतिशत तक के ऋण पर ब्याज दर में भारी वृद्धि; बाजार और दुकान में झूठे उपाय; अमीर लोगों द्वारा अपने बेड़ियों में जकड़े मवेशियों, टट्टुओं, टट्टुओं या यहाँ तक कि हाथियों के ज़रिए ग़रीब जाति की बढ़ती फसलों पर जानबूझकर और बेईमानी से अतिक्रमण करना; और इस तरह की अन्य अवैधताएँ प्रचलित हैं।

संथाल हूल या विद्रोह क्या था?

- सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों के नेतृत्व में, इसमें 32 जातियों और समुदायों ने इस हूल में भाग लिया और उनके पीछे एकजुट हुए। विद्रोह हरे-भरे दामिन-ए-कोह क्षेत्र में हुआ था और इसने अंग्रेजों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया।
- विद्रोह 30 जून, 1855 को लगभग 400 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6,000 से अधिक संथालों की एक विशाल सभा के बाद शुरू हुआ।
- सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, विद्रोह ने पूरे क्षेत्र में संथालों की लामबंदी देखी, जिन्होंने हथियार उठाए और अंग्रेजों से अपनी स्वायत्तता की घोषणा की। साहूकारों

और जमींदारों को मार दिया गया या भागने के लिए मजबूर किया गया, और पुलिस स्टेशनों, रेलवे निर्माण स्थलों और डाक कार्यालयों - सभी औपनिवेशिक शासन के प्रतीकों - पर हमला किया गया। कुछ विवरणों के अनुसार, लगभग 60,000 संथालों ने इस विद्रोह में भाग लिया था।

- उल्लेखनीय है कि इस हूल या विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया, हजारों लोगों को मार डाला, कई गांवों को जला दिया और लोगों को सड़क के विभिन्न कोनों पर फांसी पर लटका दिया।

संथाल हूल कितना 'संगठित' था?

- उल्लेखनीय है कि ‘हूल’ के बारे में प्रचलित सिद्धांत यह बताता है कि यह महज एक “असंगठित अराजक विद्रोह” था, हालांकि, यह गलत है।
- झारखंड के अश्विनी पंकज ने अपनी पुस्तक “1855 हूल डॉक्यूमेंट्स” में लिखा है कि एक अत्यधिक संगठित विद्रोह के साक्ष्य मौजूद हैं। युद्ध से संबंधित तैयारियों जैसे कि गुरिल्ला और सैन्य दलों का गठन, जासूसों की नियुक्ति, गुप्त ठिकानों की स्थापना, रसद, आपसी समन्वय के लिए संदेश वाहकों का नेटवर्क आदि के साक्ष्य

भी उपलब्ध हैं, जो दर्शाता है कि हूल असंगठित, अनियोजित या अराजक नहीं था, बल्कि "जानबूझकर और सुनियोजित राजनीतिक युद्ध" था।

संथाल हूल के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य:

- राम दयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक रणेंद्र कहते हैं कि इस 'हूल' से तीन महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं:-
- पहला, यह केवल संथाल समुदाय ही नहीं था जिसने लड़ाई लड़ी, बल्कि इसमें 32 समुदायों (आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों) की भागीदारी थी।
- दूसरा, वे कहते हैं कि फुलो-झानो बहनों ने 1,000 महिलाओं की एक सेना का नेतृत्व किया था, जिनका काम खाद्य आपूर्ति प्रदान करना, सूचना एकत्र करना और रात के समय ईस्ट इंडिया कैंपों पर हमला करना था।
- तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, कि "इस विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया की सेना दो बार पराजित हुई। पहली बार पीरपैंती में और दूसरी बार बीरभूम में और इससे इस कहानी का झूठ उजागर हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हराया नहीं जा सकता"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत - बांग्लादेश के मध्य तीस्ता जल बंटवारे से जुड़ा मुद्दा:

चर्चा में क्यों हैं?

- बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हाल की भारत यात्रा के दौरान, 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी"।

- इस टिप्पणी ने बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारे की संधि के बारे में नई अटकलों को जन्म दिया, जो दोनों देशों के मध्य लंबित एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता है जो एक दशक से अधिक समय से लंबित है।

'तीस्ता संधि' पर भारत का रुख क्या है?

- प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने मीडिया को बताया कि "दोनों नेताओं के बीच चर्चा जल बंटवारे के बारे में कम और तीस्ता के भीतर जल प्रवाह के प्रबंधन के बारे में अधिक थी"।

- वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाया और राज्य की भागीदारी के बिना बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं करने की बात की है।

'तीस्ता संधि' से पश्चिम बंगाल क्यों नाराज है?

- उल्लेखनीय भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 नदियां प्रवाहित होती हैं और नदी जल का बंटवारा दोनों देशों में मध्य एक अहम द्विपक्षीय मुद्दा रहा है।
- फरक्का बैराज के निर्माण के बाद 1996 में भारत और बांग्लादेश गंगा के जल के बंटवारे पर सहमत हुए और 2010 के दशक में तीस्ता के बंटवारे का मुद्दा बातचीत के लिए आया।
- 2011 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-II सरकार के दौरान, भारत और बांग्लादेश तीस्ता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब थे, लेकिन ममता बनर्जी इस समझौते से बाहर हो गईं और तब से यह समझौता लंबित है। ममता बनर्जी ने बताया कि अगर तीस्ता का पानी बांग्लादेश के साथ साझा किया जाता है, तो उत्तर बंगाल के लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

तीस्ता नदी का प्रवाह तंत्र क्या है?

- तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, यह उत्तरी सिक्किम में लगभग 5,280 मीटर की ऊँचाई पर 'त्सो ल्हामो' झील से निकलती है। नदी सिक्किम से बहते हुए बंगाल पहुंचती है और वहां से बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।

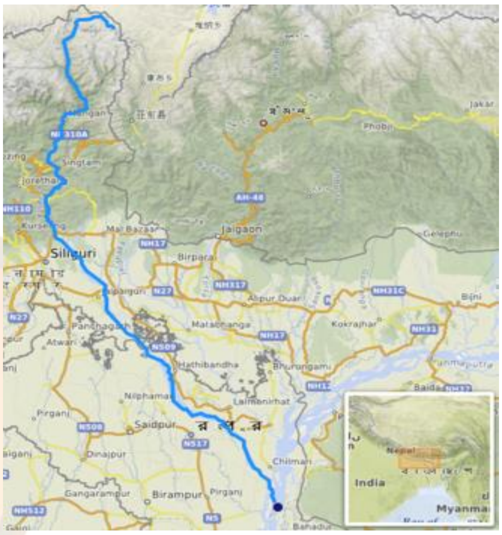

- उल्लेखनीय है कि तीस्ता बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी सीमा पार नदी है और इसका बाढ़ का मैदान बांग्लादेश में 2,750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। लेकिन नदी का 83% जलग्रहण क्षेत्र भारत में है और शेष 17% बांग्लादेश में है, जो इसकी 8.5% आबादी और 14% फसल उत्पादन का समर्थन करती है।

क्या है तीस्ता नदी परियोजना?

- तीस्ता नदी परियोजना तीन उद्देश्यों को सामने रखकर तैयार की गई है। इसमें बाढ़ पर अंकुश लगाना, कटाव रोकना और जमीन हासिल करना शामिल है।
- बांग्लादेश वाले हिस्से के अपस्ट्रीम में एक बहुउद्देशीय बैराज का निर्माण इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है। बैराज के निचले हिस्से में नदी के बहाव को

नियंत्रित कर उसे एक निश्चित आकार में लाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ स्थानों पर नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर तक है, इसे कम किया जाएगा। ड्रेजिंग के जरिए नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी। तटबंधों की मरम्मत कर उनको मजबूत बनाने का काम भी किया जाएगा।

- यह परियोजना पूरी होने पर तीस्ता के किनारे स्थित सैकड़ों एकड़ जमीन का पुनरुद्धार होगा। इतना ही नहीं बाढ़ और कटाव पर अंकुश लगने की वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी।

भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है विवाद?

- बांग्लादेश तीस्ता नदी के पानी का 50 फीसदी हिस्सा चाहता है, खासकर शुष्क मौसम के दौरान जब नदी का प्रवाह काफी कम हो जाता है। यह पानी बांग्लादेश में सिंचाई, मछली पालन और पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत ने बांग्लादेश के लिए 37.5 फीसदी और भारत के लिए 42.5 फीसदी हिस्सेदारी का प्रस्ताव रखा है, शेष 20 फीसदी पर्यावरणीय प्रवाह के लिए दिया है।
- साथ ही भारत ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिए नहरें बनाने की योजना बनाई है। बांग्लादेश का कहना है कि इससे उसके क्षेत्र में नदी का प्रवाह और कम हो जाएगा। इससे किसानों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचेगा।

तीस्ता प्रोजेक्ट पर चीन की नजर क्यों है?

- तीस्ता नदी से चीन का दूर तक कोई संबंध नहीं है, बावजूद इसके वह यहां नजरें जमाए बैठा है। असल में चीन ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया है कि वह बांग्लादेश सरकार के इस एक बिलियन डॉलर की परियोजना की लागत का 15 प्रतिशत वहन करेगा, जबकि बाकी चीनी ऋण के रूप में होगा।
- चीन इस परियोजना पर भारी रकम लगाने के लिए यूं ही तैयार नहीं है। दरअसल, प्रोजेक्ट साइट चिकन्स नेक के करीब है। यह पश्चिम बंगाल में लगभग 28 किलोमीटर का वो हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। इसके पास बांग्लादेश और नेपाल भी हैं। ऐसे में अगर चीन बांग्लादेश को अपनी तरफ मोड़ ले तो सुरक्षा के लिहाज से यह भारत के लिए खतरा है।
- फिलहाल तीस्ता नदी को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसमें भारत चीन से एक कदम आगे है। तीस्ता नदी के संरक्षण पर बातचीत के लिए भारतीय तकनीकी दल बांग्लादेश जाएगा। चीन को परियोजना से दूर रख भारत और बांग्लादेश नदी के जल के प्रबंधन और संरक्षण के लेकर साझा कार्य कर सकते हैं जो दोनों देशों के हित में है।

पश्चिम बंगाल फरक्का संधि (1996) की बात क्यों कर रहा है?

- उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे की संधि 2026 में 30 साल पूरे करेगी और इस समझौते का नवीनीकरण किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा जल बंटवारे की फरक्का संधि (1996) ने कई वर्षों में भारत और बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में नदी की आकृति को बदल दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल को नुकसान हुआ है और राज्य में पानी की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे लाखों लोग अपने निवास स्थान से विस्थापित हो गए हैं, जिससे वे बेघर हो गए हैं और उनकी आजीविका भी खत्म हो गई है।

MCQ

Q.1. चर्चा में रहे 'भारतीय न्याय संहिता (BNS)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस कानून की मंशा लोगों को दंड देने की औपनिवेशिक मानसिकता की जगह पीड़ित को न्याय प्रदान करना है।
2. भारतीय न्याय संहिता के द्वारा पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)

Q.2. 1 जुलाई से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा /से सकारात्मक पहलू है/हैं?

(a) मॉब-लिंचिंग के अपराधों को शामिल करना।

(b) कुछ अपराधों के लिए सज़ा के वैकल्पिक रूप के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत।

(c) त्वरित सुनवाई के लिए समयसीमा निर्धारित करना।

(d) उपर्युक्त सभी सकारात्मक पहलू हैं।

Ans. (d)

Q.3. चर्चा में रही 'संथाल हूल' या संथाल विद्रोह' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 'संथाल हूल' मुर्मू भाइयों सिद्धू-कान्हू, के नेतृत्व में 30 जून 1855 को शुरू हुआ "उपनिवेशवाद के खिलाफ संगठित युद्ध" था।
2. इस हूल या विद्रोह में दामिन-ए-कोह के केवल संथाल जनजाति ही शामिल था।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (a)

Q.4. हाल में चर्चा में रहे 'तीस्ता नदी' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) यह दक्षिण सिक्किम से निकलती है।

(b) तीस्ता नदी का 83% जलग्रहण क्षेत्र भारत में है।

(c) तीस्ता नदी बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी सीमा पार नदी है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans. (b)

Q.5. चर्चा में रहे 'भारत - बांग्लादेश के मध्य तीस्ता जल बंटवारे' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत ने बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश भेजने की बात कही है।
2. तीस्ता संधि दोनों देशों के मध्य लंबित एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता है जो 2011 से ही लंबित है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (c)